संख्या–1867(1)/5–9–2005–9(277)–04

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
सचिव एवं मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुश्रवण एवं मूल्यांकन,
परिवार कल्याण, महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक 20 जून, 2007

विषय :– **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चयनित आशा को प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के सम्बन्ध में।**

महोदय,

चिकित्सा अनुभाग–9

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "आशा को प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान" किये जाने विषयक शासनादेश संख्या 1867/5–9–05–9(277)/84, दिनांक 08.06.07 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश दिनांक 08.06.07 के प्रस्तर–2 उप प्रस्तर (6) पर निम्नवत् प्राविधान किया गया है :–

यदि किसी कारण से आशा गर्भवती स्त्री को संस्था तक जाने के लिये परिवहन की व्यवस्था नहीं कर पाती है तो ऐसी परिस्थिति में गर्भवती स्त्री के प्रसव हेतु संस्था पर पहुँचने पर/पंजीकरण के पश्चात् परिवहन सहायता (जोकि ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं हेतु रु0 250/–एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं हेतु रु0 200/–तक सीमित है) लाभार्थी को तुरन्त प्रदान की जायेगी।

2–इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्तर में "एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं हेतु रु0 200/– टंकण त्रुटि के कारण टंकित हो गया है। अतः उक्त प्रस्तर को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

यदि किसी कारण से आशा गर्भवती स्त्री को संस्था तक जाने के लिये परिवहन की व्यवस्था नहीं कर पाती है तो ऐसी परिस्थिति में गर्भवती स्त्री के प्रसव हेतु संस्था पर पहुँचने पर/पंजीकरण के पश्चात् परिवहन सहायता (जोकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं हेतु रु0 250/–तक सीमित है) लाभार्थी को तुरन्त प्रदान की जायेगी।

3–उक्त शासनादेश दिनांक 08.06.07 तद्सीमा तक संशोधित माना जाय।

भवदीय,
रेणुका कुमार,
सचिव एवं मिशन निदेशक।

संख्या–1867(2)/5–9–2005–9(277)–04 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित :–

1–सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2–प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन।

3–प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन।

4–प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0 प्र0 शासन।

5–प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।

6–सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0 प्र0 शासन।

7–सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन।

8–सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन।

9–सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।

10–महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ0 प्र0 लखनऊ।

11–निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

12–अधिशासी निदेशक (सिफ्सा), उत्तर प्रदेश लखनऊ।

13–निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0 प्र0 लखनऊ।

14–निदेशक, महिला कल्याण, उ0 प्र0 लखनऊ।

15–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

16–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

17–समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मण्डल, उ0 प्र0।

18–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

19–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सूर्य नारायण शुक्ल,
उप सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 9 सा० चिकित्सा–10.7.2007–(711)–1000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।